International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 4 Issue 5, Sept-Oct, 2016, Impact Factor: 1.554

नारी सशक्तिकरण/नारी की बदलती स्थिति

डॉ रेखा

सहायक प्रोफ़ेसर, हिंदू कॉलेज, रोहतक

समाज में जब भी नारी की स्थिति की बात उठती रही है तब–तब एक ही दृश्य उभरकर आता है कि वह समाज की आधी आबादी ही नहीं शक्ति भी है। इसीलिए शिव भगवान ने भी उदाहरण स्वरुप भक्तों के समक्ष अर्द्धनारीश्वर का रुप धारण किया था। ताकि वे स्त्री की समाज व जीवन में उपयोगिता के महत्व प्रदान कर सके। सृष्टि के मूल में विद्यमान है नारी शक्ति जिसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता। धर्मशास्त्र भी इसका प्रमाण है जहाँ विदूषी महिलाएं ही नहीं अपितु उनकी अनुपस्थिति में यज्ञ व पूजा कार्य भी विफल माने जाते थे। उनके विषय में उक्ति थी, ''यत्र नार्यस्तु पुज्यते रमंते तत्र देवताः'' फिर कब, कहाँ और कैसे समाज की दृष्टि में यह छवि धूमिल हो गई। नारी अस्तित्वविहीन जीवन यापन को विवश हो गई और समाज में पुरुष का प्राधान्य होने के परिणामस्वरुप उस पर न जाने कितनी की कुप्रथाएँ सजा के रुप में लाद दी गई। पुरुष समाज ने स्त्री का उपयोग अपनी आवश्यकतानुसार प्रारंभ कर दिया। जब भी अंधकार घना हो जाये तो वो इस बात का प्रमाण नहीं कि कोई मार्ग नहीं क्या अपितु यह प्रदर्शित करता है कि उजाला बहुत दूर नहीं है और परिस्थितियाँ परिवर्तित होने वाली है और नारी की स्थिति भी परिवर्तन की ओर अग्रसर होने लगी और विभिन्न स्तरों पर उसके लिए आवाज उठाई जाने लगी। उसे सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास किए जाने लगे।

1985 में नैरोबी ने संपन्न अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में सर्वप्रथम महिला सशक्तीकरण को परिभाषित किया गया। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं की पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारिरीक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उसके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता है। भारत में महिला सशक्तिकरण से आशय प्राथमिक रुप से महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा में सुधार लाना है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे हैं। महिला के उन्नयन हेतु विश्व स्तर पर पहली बार संगठित प्रयास 1908 में अमेरिका में 'वूमेन ट्रेड यूनियन' के गठन के साथ शुरू हुआ। 'नारी सशक्तिकरण के प्रभावी स्वरुप का अध्ययन करने हेतु पाँच स्तरों में विभाजन किया गया हैः–

1. **कल्याणकारी कार्यक्रमः–** महिलाओं के कल्याण का अर्थ है उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार करना। जैसे महिला के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करना, पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाना, उनकी सुरक्षा व आय को बढ़ाना ये सब नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रारंभिक प्रयास है क्योंकि पेड़ को पोषक देने के लिए जड़ों में काम करना आवश्यक होता है। भारत में संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। संविधान के अनुच्छेद 14–15 में विधि के समक्ष समानता तथा लिंग, धर्म, मूलवंश या जाति के आधार पर महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार है। अनुच्छेद 23–24 में महिलाओं के शोषण, बलपूर्वक श्रम, महिलओं के क्रय–विक्रय इत्यादि पर रोक लगाए जाने का निर्देश है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के अवैध व्यापार, यौन उत्पीड़न तथा महिलाओं के विरूद्ध होने वाली अन्य अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 1998 में राष्ट्रीय कार्यवाही योजना तैयार की गई। इसका उद्देश्य दुराचार की शिकार महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। 1953 में महिला कल्याण के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। शिक्षा के सघन पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ग्रामीण तथा निर्धन महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने वाली परियोजनाओं पारिवारिक परामर्श केन्द्र, स्वैच्छिक कार्यवाही वूयरों, बच्चों के लिए अवकाश शिविर सीमावर्ती क्षेत्रों में कल्याण प्रसार योजनाएँ और बालवोडियाँ, कामकाजी महिलओं के लिए शिशु सदन और हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है।

2. **संसाधनों की पहुँच :–** महिला सशक्तिकरण का दूसरा स्तर है। सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ तो बनाई जा रही है। लेकिन वास्तविक लाभ तभी होगा जब इन सेवाओं व संसाधनों को महिलाओं तक पहुँचाया जाये। बहुत–सी योजनाएँ तो कागजों में ही दम तोड़ देती है और जो लागू हो भी जाती है उसका लाभ बहुत कम महिलाओं तक पहुँचता है। भारत में संदर्भ में महिलाओं के स्तर में सुधार के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए जैसे – स्वावलंबन इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना। इसमें मुख्यतः कम्प्यूटर, प्रोग्रामिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्सन, टेलीविजन मरम्मत, हथकघा व लिपिकीय क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के तहत गरीब, जरूरतमंद व समाज के कमजोर वर्ग की महिलाएँ शामिल की जाती है तथा गैर–सरकारी संगठनों, संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्रों के संगठनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

   एक योजना है 'स्वशक्ति योजना' जो 1998 में स्थापित की गई। यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित तथा विश्व बैंक एवम् अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष के सहयोग से यह योजना विभिन्न प्रदेशों में यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास बढ़ाने तथा स्वरोजगार की दिशा में स्वयं सहायता समूह इसमें महत्वूपर्ण भूमिका निभाते है।

3. **चेतना व जागरूकता :–** महिलाओं को अपनी समस्याओं के कारणों को स्वयं समझना होगा और स्वयं ऐसी योजना बनानी होगी जो लिंग समानता को बढ़ाए महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम है, महिलाओं को शिक्षित करना जब महिला शिक्षित होगी तभी वे अपने अधिकारों के बारे में जान सकेगी और अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज सकेगी भारत में महिलाओं को जागरूक करने के लिए 'महिला समाख्या कार्यक्रम' शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएँ तैयार की जाती है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऐसी योजनाएँ बनाना तथा उसे क्रियान्वित करवाना है। किंतु अभी भी बहुत से रूढ़िवादी परिवारों में शिक्षा प्राप्त करवाने में लैंगिक असामनता बरती जाती हैं; केवल बालकों को ही शिक्षा दी जाती है। इसके लिए सरकार ने 'बालिका प्रोत्साहन योजना' शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 8 पास करने वाली बालिका को कक्षा 9 में नामांकित होने पर 3000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाती है। क्योंकि शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जो किसी के लिए भी किसी भी क्षेत्र में एक मजबूत हथियार की भांति कार्य करता है। जिससे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने का साहस प्राप्त होता है।

4. **गतिशीलताः–** गतिशीलता सशक्तिकरण का कार्य स्तर है जिसमें महिलाएँ एवं व्यापक महिला आंदोलन से अपने को जोड़ती है। भारत में आधुनिक युग में महिलाओं भी सामूहिक राजनीतिक एकता व भागीदारी की शुरूआत 1920 में दशक में मानी जा सकती है। कमला देवी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1924 में की गई थी। महिलाओं के असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया था। 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आन्दोलन के द्वारा महिलाओं को प्रभावित करने वाली कुरीतियों, जैसे :– अशिक्षा, बाल–विवाह, सती प्रथा, विधवाओं का उत्पीड़न पर्दा प्रथा आदि को समाप्त करने का प्रयास किया गया इसी का परिणाम था कि 20वीं शताब्दी में महिलाओं में राजनीतिक गतिशीलता का आरंभ हुआ। आज देश में महिला गतिशीलता को प्रभावी बनाने के लिए महिलाओं के कई छोटे–बड़े संगठन है तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने अपने सरोकर से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे महिला उत्पीड़न, महँगाई, पर्यावरण की रक्षा, शराब बंदी, महिला आरक्षण की मांग आदि के लिए संघर्ष कर रही है। पर्यावरण संबंधी चिपको आन्दोलन मुख्यतः महिला शान्ति पर आधारित आंदोलन है। मेघा, पाटेकर द्वारा संचालित नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा इला भट्ट द्वारा संचालित 'सेफ्फ इम्प्लोइड वूमेन एसोसिएशन (सेवा) महिला गतिशीलता के श्रेष्ठ उदाहरण है। सरकार द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह महिलाओं में आत्मनिर्भरता व संगठन की भावना का विकास कर रहे है।

   नियंत्रण :– सशक्तिकरण का वह स्तर है जब महिलाओं के निर्णय निर्माण और संसाधनों को प्राप्त करने में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होता है। यह नारी सशक्तिकरण का आखिरी स्तर है। जब महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि प्रत्येक क्षेत्र में निर्णय निर्माण की शक्ति प्राप्त हो

जाती है। स्वतंत्रता के बाद देश में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा का आखिरी स्तर है। जब महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि प्रत्येक क्षेत्र में निर्णय निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। स्वतंत्रता के बाद देश में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर प्रयास किए जाते रहे है। संविधान के अनुच्छेद 40 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संसद द्वारा 73वॉ व 74वॉ संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों तथा नगरपालिकाओं में क्रमशः अनुच्छेद 243 (घ) तथा अनुच्छेद (न) द्वारा आरक्षित तथा अनारक्षित वर्ग की महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत् आरक्षण की व्यवस्था की गई। संसद में भी महिलाओं के आरक्षण के लिए प्रस्ताव रखा गया है और राज्य सभा ने भी इसे मंजूरी दे दी। महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 की घोषणा की। भारत में वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह अभिनव कदम था। इस नीति में कई दिशा–निर्देश व मानक तय किए गए–

1. देश में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा हेतु आधारभूत ढाँचा तैयार करना तथा सभी प्रकार की सामाजिक गतिविधियाँ में उन्हें शामिल करना।
2. महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उचित माहौल बनाना तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और न्यायिक सभी क्षेत्रों में आधारभूत स्वतंत्रता में उन्हें समान रुप से भागीदार बनाना।
3. महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण बनाना जिसे उन्हें यह अनुभव हो सके कि वे देश के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भागीदार है।
4. महिलाओं के प्रति किसी भी तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए समुचित नियमों, निर्देशों और कानूनों का प्रणयन करना।
5. महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा को रोकने के लिए समुचित कानून बनाना।
6. महिलाओं के सामाजिक अधिकार को स्थापित करने हेतु प्रयास करना।
7. ग्लोबलाइजेशन से उत्पन्न नकारात्मक एवं सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावों के खिलाफ महिलाओं की क्षमता में वृद्धि के साथ उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना।
8. गाँवों एवं शहरों की आवास नीतियों एवं योजनाओं में महिला परिपेक्ष्य को सम्मिलित किया जाएगा।
9. बालिका व्यापार, भ्रूण हत्या, प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण, बाल शोषण, बाल–विवाह, बाल वेश्यावृत्ति को रोकने हेतु कड़े कानूनों का निर्माण किया जाएगा।
10. पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय स्व–शासन को सुचारू रुप से सम्मिलित किया जाएगा।

महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए समय–समय पर नियम व कानून बनाये जाते रहे हैः–
यद्यापि महिलाओं की सुरक्षा के लिए समय–समय पर कानून बनाये जाते रहे हैः–

- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956
- दहेज रोक अधिनियम 1961
- एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976
- मेडिकल टर्म्नेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1987
- लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट 1994
- बाल–विवाह रोकथाम एक्ट 2006
- कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण एक्ट 2013

इन सभी कानूनों को अमलीजामा तो पहना दिया गया है किन्तु वास्तविकता के धरातल पर ये कितने स्टीक बैठते है यह कह पाना दुश्कर कार्य है। क्योंकि वर्तमान में भी महिलाओं के प्रति सभी बदस्तुर जारी है। इन्हें अमल में लाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदी निभानी पड़ेगी तभी यह संभव हो पाऐगा।

दूसी तरफ महिलाओं ने सिद्ध किया है कि यदि उन्हें उचित समय पर संसाधन उपलब्ध कराये जाये तो वे प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर अपने भारतवर्ष को विश्व पटल पर फिर से प्रथम स्थान व विश्वगुरु बनाने में समक्ष भूमिका निभा सकती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज विभिन्न

क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को अपेक्षाकृत विशेष पहचान मिल रही है और वह उपलब्धियाँ अर्जित कर रही है। वहाँ भी किसी क्षेत्र विशेष में नही अपितु सभी क्षेत्रों में – राजनीतिक, आर्थिक, खेल सामाजिक, सेवा व सुरक्षा, उद्योगजगत, न्याय क्षेत्र और वे सभी स्थल जहाँ पुरुष अपना एक छत्र साम्राज्य समझते रहे। ऐसे कुछ उदाहरण है–

1925 – सरोजनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत में जन्मी पहली महिला अध्यक्ष बनी।
1927 – ऑल इंडिया वूमेन कांफ्रेस की स्थापना की।
1947 – सरोजिनी भारत की पहली महिला गर्वनर बनी।
1951 – प्रेम माथुर पहली भारतीय कमर्शियल पायलट बनी (डेक्कन एयरवेज)।
1959 – अन्ना चांडी केरल हाई कोर्ट, भारती की पहली महिला जज बनी
1963 – उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलामी पहली महिला थी।
1966 – इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी।
1970 – कमलजीत संधु एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला थी।
1972 – पहली प्वै किरण बेदी।
1986 – सुरेखा यादव भारत व एशिया की पहली लोको–पायलट, रेलवे ड्राईवर बनी।
1989– न्यायमूर्ति एम॰ फातिमा बीवी भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी।
1992 – प्रिया झिंगन इंडियन आर्मी में शामिल होने वाली पहली महिला कैडेट बनी।
1999 – अक्टूबर को सोनिया गांधी का भारतीय विपक्षी दल की पहली महिला नेता बनी।
2007 – 25 जुलाई को प्रतिभ पाटिल भारतीय पहली महिला राष्ट्रपति बनी।

इनके साथ ही न जाने कितनी ही हस्तियाँ है – प्ब्ब् की प्रबंध निदेशक ;डक्द्ध तथा चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर ;ब्व्द्ध के पद पर चंदा कोचर है। पेप्सिलोजी ब्म् इंदिरा नूई है, फ्लाइंग ऑफिसर कविता बराला पहली भारतीय वायु सेना ऑफिसर बनी, फिल्म जगत में प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्य राय, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मैरीकॉम, साक्षी मलिक, पी.वी. सिंधु, दीपा कर्माकर ने देश का गौरव बढाया है। ऐसे अनगणित उदाहरण हमारे सामने है।

फिर भी उसे उपेक्षिता ही समझा जाता है और उसे कदम–कदम पर असुरक्षा, शोषण, अन्याय व अत्याचार का शिकार होना पड़ता है। अपने ही घर में भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। जन्म लेने से पहले ही उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाता है। लिंगानुपात में दर्शनीय अंतर इस बात का प्रमाण है। वर्तमान में समाज की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है कि जन–जन के मन में यह संदेश जाए कि नारी सृष्टि का आधार है।

''भूले से मत कीजिये, नारी का अपमान
नारी जीवन दायिनी, नारी है वरदान।
माँ बनकर देती जनम, पत्नी बन संतान
जीवन भर छाया करे नारी वृक्ष समान।।
युगों–युगों से यह जगत, ठहरा पुरुष प्रधान
कदम–कदम पर रोकता, नारी का उत्थान
नारी को मत मानिये, दुर्बल अबला–जान
दुर्गा काली कालिका, नारी है तूफान।
जितना गाओ कम लगे नारी का गुजगान
जी चाहे कण–कण करे, नारी का समान।।

सन्दर्भ

- ॅवउमदशे म्उचवूमतउमदजण
- आज की दुर्गा– महिला सशक्तिकरण।
- प्रतियोगिता दर्पण।